

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2023 / 91

दिनांक : 23-01-2023

विप्रार्थीगण

प्रार्थी

बनाम

1. चेतनराम पुत्र रतनाराम वगैरा 02
जाति जाट निवासी पनोणी जाणियों की ढाणी
नगोणी धतरवालों की ढाणी तह. बायतु (बाड़मेर)

1. कलाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 17,
जाति जाट निवासी आहोणियो वणियालो,
की ढाणी, माधासर तह. बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 477 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - आहोणियो वणियालो की ढाणी, पटवार मण्डल - माधासर तहसील - बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 740/297 रकबा 0.3236 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2023 / 92-96

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार. बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चेतनराम पुत्र रतनाराम वगैरा 02
4. विप्रार्थी श्री कलाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 17
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 23-01-2023

उपखण्ड अधिकारी बायतु